SHRI J. VENGAL RAO: It has been published long back.

MR. CHAIRMAN : If it has been published, then you have got copies. Send them a copy.

SHRI J. VENGAL RAO : We will send him a copy, Sir.

Functioning of Courier Services

*87. SHRI SANTOSH BAGRODIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) what is the criteria for selecting and issuing licences for courier services;

(b) how many courier services are presently functioning in the country, what are their names and addresses;

(c) whether any complaints have been received from public against these services; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) No licence is being issued by Department of Posts for operation of courier services.

(b) Information is not available on the number of couriers operating in the country.

(c) and (d) Do not arise in view of (a) and (b).

SHRI SANTOSH BAGRODIA : Mr. Chairman, Sir, I would like to point out that though no licences are being given according to the Minister's reply about courier services, this is well-known that hundreds of courier services are working in the country today and a lot of manipulations are going on in this service. In fact, Sir, even small rickshaw-pullers have to get a licence whereas these multinationals and large companies operating as courier services are not covered under the licencing system and they are operating with no restriction, and they are taking the country for a ride. Can the Minister explain why this situation is being allowed to continue? Specially, Sir, I would request the Minister to look into one M/s. ICPL, working at different places. They invariably take the consignments from the poor citizens of the country and whenever any valuables are sent, they are being taken away by them and no compensation is being given. Therefore, Sir, my first supplementary is why no licences are being given.

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : मान्यवर, जैसा कि . . .

MR. CHAIRMAN: Are you not opposing curier services or are you opposed to courier services?

श्री बीर बहादुर सिंह : मान्यवर, यही करिअर सर्विस देश में चल रही है, यह बात सब को मालूम है। लेकिन भारतीय डाक-घर अधिनियम 1898 की धारा 4 के अनुसार केवल हम पत्र ले जाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उस पर जुर्माना कर सकते हैं। लेकिन किसी को कोई दस्तावेज ले जाने पर, कोई और चीज ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं और न कोई लाइसेंस जारी कर सकते हैं। तो जो कूरियर द्वारा काम किया जा रहा है वह इस तरह का काम किया जा रहा है। महोदय, जहां इस तरह की कोई बात होती है उनको हम देखते हैं और उसकी छानबीन करते हैं।

श्री सभापति : जहां चिट्ठी वगैरह जाती हैं इस तरह तो आप उनको बंद कर सकते हैं . . .

श्री संतोष बागड़ोदिया : मेरे सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने जो पत्र ले

जाने की बात कही कि पत्र ले जाना तो ठीक है लेकिन मैं तो कहता हूं कि पत्र भी न ले जायें और दूसरी चीजें भी न ले जायें। अगर ले जाये जा रहे हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरी तरह से कन्ट्रोल होना चाहिए। अगर इस बारे में नियम नहीं बने हैं तो मंत्री महोदय इसको देखें। अगर कोई इस तरह का नियम, कानून नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको चैंज नहीं कर सकते।

There is another point, Sir. If they do not have a survey made, will they like to have a survey made on unlicensed services operating in India? Are these operations illegal? And if it is so, I want to know whether the Government is taking any action against such agencies. Does the Government have any information that these unlicensed agencies are also transmitting money illegaly?

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Sir, the Department of posts is not empowered to issue licences to private agencies, therefore, we have not issued any licences. The Reserve Bank of India's permission is required in accordance with the Foreign Exchange Regulation Act for repatriating the profit. But the Department of Posts do not have the detailed information about the illegal and unlicensed postal services as we have not issued any licences to them. But, Sir, according to the Act, the Police is empowered to check such illegal transaction of letters or anything, which is not in accordance with the Act. We don't have such an agency nor have we any information as to what their operations are. We have got information only on an informal basis. But as the Act stands today, we are not empowered to act against them.

SHRI SURESH KALMADI : Sri, courier is a means of communication and I am quite surprised that the Ministry of Communications does not have a list of courier services in the country. There has been, particularly in the last one year, a mushrooming of courier services. I am particularly worried about the security aspect, because couriers operating mostly by airlines, are mushrooming. Only recently, at the Calcutta airport, there was a blast in one of the packets being carried by the courier. Packets carried by the Indian airlines have to be deposited with the Indian airlines and they wait for 24 hours to make sure that the packet is all right before it is allowed to be loaded inside the aircraft. But in case of couriers, no such precaution is taken and they are allowed to take all packets into the aircraft. Particularly, in view of the blast in Calcutta last week, would the Government consider the security aspect and the hazards of these couriers and streamline the procedure?

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Security angle has to be taken into consideration by the Government with respect to courier services. We have tried to amend the Act by the Indian Post Offices Bill, 1986 so that licensing power is...

SHRI SURESH KALMADI: I did not ask about licensing. I asked about the steps being taken by the Government to streamline the system.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: We are not the licensing authority.

SHRI SURESH KALMADI: I am not asking you about that. I am asking you about the security aspect.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: We have not issued any licence. It is the concern of the Ministry of Home Affairs as well as the Indian airlines and other agencies which are looking after security angle. As far as the Postal Department is concerned, we

have amended the Act and that is awaiting the assent, after which the power would be vested with the Postal Department and we would be able to control the entire courier service to ensure better service to the people. Therefore, I will not be able to give you details of the entire system being operated, but we know that the police authorities have registered cases in the courts and punishment has been awarded to guilty. But we are not empowered to take any action against the private couriers.

MR CHAIRMAN: Mr. Kalmadi was only interested in seeing to the security aspect of it If the Ministers of Communications and Civil Aviation can put their heads together and find a way out against it . . .

श्री वीर बहादुर सिंह : मान्यवर, इन सब चीजों पर विचार कर के देखा जाएगा ।

श्री सभापति : बैठ कर बात कर लीजिए । रास्ता निकालिये । घर की बात है, देश की बात है ।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA : I think we have been beating about the bush as far as courier service matter is concerned. Why did this courier service come into existence? It primarily came into existence because the normal transferance of letters by ordinary mail and the service that the Government is handling, are probably not as efficient as the people would have liked it to be. Therefore, this system has come in. Now, what I would like to know from the hon. Minister is in view of the fact that there is a mushrooming of these people who are unlicensed and who are unknown—but they are providing a great service to the country and to the business people; in fact, if the courier service stops today the businessmen would be put to a lot of difficulties—what steps the Government is taking? Do they have a parallel programme to provide a quick service by which this sort of unlicensed courier service would not be necessary? This is my point.

श्री वीर बहादुर सिंह : मान्यवर, यह बात सही है कि कूरियर सर्विस जो मिल रही है इससे काफ़ी लोगों को फायदा हो रहा है और इसे बंद करना भी उचित नहीं है । इसीलिए हमने स्पीड पोस्ट की भी व्यवस्था की है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को चिट्ठियां या उनके किसी सामान को पहुंचायें । लेकिन यह एक व्यवस्था अगर अच्छी चल रही है तो उसको चलाना चाहिए । जहां तक इसमें कोई कमी है तो उसे सुधारने के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं वह करने का प्रयास करेंगे ।

SHRI SURESH KALMADI : Sir, the entire Opposition has not walked out. Mr. Swamy is here.

MR. CHAIRMAN : Mr. Matto is there.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : I am always there.

SHRI SURESH KALMADI : Mr. Swamy is happy to be here. You must give him a lot of credit in regard to Karnataka.

MR. CHAIRMAN: Earlier he walked out and now he has walked in. He has withdrawn his walk-out.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, you have assigned me Miss Jayalalitha's seat. But I hope you have not made me a member of the AIADMK.

श्री गुलाम रसूल मट्टू : जनाब चेयरमैन साहब, सामला जो यह कूरियर सर्विस का है इसको हमें इस सूरतेहाल से देखना है कि यह क्यों पैदा हुआ । जैसे विश्व बन्धु गुप्ता जी ने कहा कि पोस्टल सर्विस में अगर एक चिट्ठी दूसरी जगह जैसे दिल्ली से श्रीनगर पहुंचाने में आठ रोज लग जायें तो कुदरती

दूसरा आदमी जिसमें चिट्ठी को या डाक्यूमेंट को भेजना है यह जरूरी समझता है कि वह कोई और जरिया ढूंढे। चुनांचे गवर्नमेंट ने पोस्टल सर्विस चालू की है। इसमें भी जब दिक्कतें आईं तो कुछ लोग सामने आये और उन्होंने कहा कि आप चाहते हुए यह गारंटी करते हैं कि 24 घंटे या 48 घंटे के अन्दर आपकी चिट्ठी वहां पहुंचा देंगे। यह बोझ बढ़ाने वाली और इसको आप रोक नहीं सकते हैं। जहां यह पैदा होता है कि इस बोझ को बढ़ाने और कंजेशन करने के लिए तैयार क्या कर रही है। सबसे पहली चीज तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वह यह है कि जब आदमी को निराश में जाने के लिए पाने तो लाइसेंस होना चाहिए। डिप्टी साहब को मैं क्या कहूं, उन्होंने कहा कि हम पोस्टल एक्ट में तरमीम लायेंगे, जिसके अन्दर हम कूरियर सर्विस को लाइसेंसिंग की एक्सिट में लायेंगे चूंकि यह एक लम्बा चौड़ा मामला है इसलिए मैं डिप्टी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि वे कब तक ऐसा अमेंडमेंट इस हाउस में लाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये जो कूरियर्स सर्विस के एजेंट्स हैं वे लाइसेंसिंग की एक्सिट में आ जायें। यह इसलिए जरूरी है कि जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतनी ही ज्यादा ओपन होती जायेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैन का फायदा उठायेंगे और जब आप कानून लेकर आयेंगे तो उस वक्त हजारों ऐसे लोग होंगे। इस सिचुएशन में मैं डिप्टी साहब से विश्वास चाहता हूं कि वे कब तक पोस्टल एक्ट में तरमीम लायेंगे और पहली चीज जो जरूरी है लाइसेंसिंग की वह कब तक कराने का इरादा रखते हैं?

श्री सभापति : आपका सुझाव है कि जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट लाया जाये।

श्री बीर बहादुर सिंह : पोस्टल सर्विस नियमों में या जो हमारे पोस्ट के अधिनियम बने हैं उनमें पेनल्टी की व्यवस्था है, जैसे अभी तक अगर कोई पोस्ट, कोई डाक या चिट्ठी ले जाता है तो इस तरह के कूरियर को चिट्ठी ले जाने का, पत्र ले जाने का अधिकार नहीं है। कोई अगर दस्तावेज ले जाता है तो वह ले जा सकता है, उसमें मना नहीं है। लेकिन जब वे पत्र ले जाते हैं तो उसके लिए हम 50 रुपये से 500 रुपये तक की पेनल्टी रखते हैं और हम यह करने जा रहे हैं कि पेनल्टी बढ़ायें, इसकी कड़ाई करें। लेकिन जहां तक पोस्टल सर्विस से दूसरा देना है, ले जाने में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, वहां कहीं रुकावट है तो वह कौन हैं जिसे कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रयास करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय : सभापति महोदय, मंत्री महोदय के जवाब ने बड़ा निराश कर दिया, उन्होंने जब कहा कि वे कूरियर सर्विसेज चल रही हैं ऐसा हमें कोई ज्ञान नहीं है और इन्हें कोई लाइसेंस हमने नहीं दिया है मैं आपको तीन नाम ऐसे बता सकता हूं, जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, इंटरनेशनल स्टेटस पर कोरियर सर्विस चलाती हैं और जिनके दफ्तर हमारे इस बड़े शहर में हैं--स्काईपैक, डी.एच.एल., और ब्लू डार्ट--यह तीन कम्पनियां ऐसी हैं।

अभी माननीय मंत्री कह रहे थे कि 1898 का जो अधिनियम डाक-तार विभाग का बना हुआ है, उसमें इतना तक प्रावधान है कि कोई कोरियर सर्विस पत्रों के लिए कोरियर सर्विस का काम नहीं कर सकती है। पर डाक्यूमेंट ले जाने के लिए कर सकती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस विभाग ने कभी किसी कोरियर सर्विस के दफ्तर में जाकर उनके लिफाफों को खोल कर देखा है कि क्या उनमें डाक्यूमेंट्स जा रहे हैं या पत्र जा रहे हैं? क्या कभी कोई जांच हुई है?

एक नहीं हजारों कोरियर सर्विस के इश्तहार अखबारों में रोज छपते हैं कि उन्हें एजेन्ट चाहिएं--छोटे और बड़े एजेंट चाहिएं। इतना ही नहीं, अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा इसके साथ-साथ कि टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स का कनेक्शन, पर्सनल यूज के लिए होता है--यहां आफिशियल पर्पज के लिए एक टेलीफोन एक सौ आर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, एक टेलेक्स सौ आर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, एक फैक्स के कनेक्शन का हजारों लोग उपयोग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और कौन इसके लिए बना रहा है? इसको देखने की जरूरत है और यह क्या सरकार का रेवेन्यू बिठाने दफ्तरों से किसी मुख्य-मुख्य अधिकारियों की जेब में तो नहीं जा रहा है? इस पर कोई खोजबीन की गई है क्या, मैं यह जवाब जानना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह: माननीय यह नहीं कहा गया है कि कोरियर सर्विस नहीं चलाई जा रही है, कोरियर सर्विस चल रही है और इसके बारे में समय-समय पर जब कोई बात होती है तो जानकारी भी करते हैं।

माननीय, एक बार हमने डिपार्टमेंट के द्वारा प्रयास किया था, अनौपचारिक रूप से देखा गया कि देश में लगभग 150 कोरियर सर्विस चल रही हैं, लेकिन उनका लाईसेंस जारी करने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। उस पर देखा जा रहा है कि उस पर क्या किया जाए। जहां तक पत्र ले जाने का, जैसा माननीय अहलुवालिया जी ने कहा, उसके बारे में हमने कहा है कि इसका एक अमेंडमेंट हम कर रहे हैं। उसमें यह प्रोवीजन कर रहे हैं कि कम से कम तीन साल की सजा हो और पेनल्टी भी बढ़ा रहे हैं। तो जब यह हो जाएगा, तो माननीय, जो यह शिकायत आती है, वह शिकायत आने की संभावना नहीं रह जाएगी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सभापति महोदय, लिफाफों के अंदर डालर की करेंसी जा रही है, स्टर्लिंग जा रहे हैं या पाऊंड जा रहे हैं, क्या यह कभी खोज की गई है? इंटरनेशनल रेप्यूट की कोलिशन सर्विसेज हिंदुस्तान में चल रही हैं।

मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस सबजैक्ट पर आधे घंटे की डिस्कशन होनी चाहिए और इस पर हिम्मत देकर रहीं-सहीं स्टेटमेंट के साथ गवर्नमेंट आए।

श्री सभापति: वह पूरे प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: आप हाफ-एन-आवर डिसकशन की बात पर विचार करें।

श्री सभापति: आप उसके लिए लिख कर दीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: ठीक है, उसके लिए हम लिख कर देंगे।

Criteria for Opening of Rural Post Office

*8 SHRIMATI RATAN KUMARI:
DR. RATNAKAR PANDEY†

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the criteria laid down for opening of post offices in rural areas;

(b) what is the number of eligible villages in the country where post offices are yet to be opened; and

(c) what is the target fixed for opening of such post offices in 1989-90?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Ratnakar Pandey.